

इन्द्रप्रसाद गौतम पिता श्री विशेषर प्रसाद गौतम उम्र 73 वर्ष  
निवासी रामटेकरी कृपालपुर तहसील रघुराज नगर जिला

III/निगरानी/सतना/भू.सूचना म०प्र०/2018/0414.....निगराकार

बनाम

1. सुशील कुमार तनय मोतीलाल शुक्ला निवासी जमोड़ी  
जिला सतना म०प्र०
2. शासन म०प्र० .....गैरनिगराकार

श्री स्वामी चतुर्वेदी द्वारा आज दि. 15.10.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक कार्य हेतु दिनांक 27.10.18 नियत।

बलक ओफ़ क्वार्टर  
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू०रा० संहिता  
1959, विरुद्ध कार्यालय राजस्व निरीक्षक  
वृत्त सतना तहसील रघुराज नगर जिला  
सतना म०प्र० के राजस्व प्रकरण  
क्रमांक 179अ12/16-17में पारित आदेश  
दिनांक 31.10.17,

मान्यवर,

उपरोक्त संदर्भ में निगराकार निम्न लिखित आधार पर  
निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:-

### प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है  
कि गैरनिगराकार क.1 द्वारा मौजा कृपालपुर तहसील  
रघुराज नगर जिला सतना म.प्र. की आराजी नम्बर  
1279/1/15/2, 1279/1/15/4 रकवा 0.031 हे. के  
सीमांकन का आवेदन पत्र लायक अदालत मातहत के  
समक्ष प्रस्तुत किया तथा लायक अदालत मातहत द्वारा  
दिनांक 13.10.17 को सीमांकन बिना चौहद्दी कास्तकारों  
को सूचना दिये कर दिया गया तथा दिनांक 31.10.17  
को उक्त सीमांकन प्रमाणित कर दिया गया। इसी प्रश्ना-  
धीन आदेश दिनांक 31.10.17 के विरुद्ध यह निगरानी  
निम्न आधारों पर प्रस्तुत कर विनयी है कि-

Wohat di  
15/10/18


RS

59

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/सतना/भू.रा./2018/0414

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15/04/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के प्रकरण क्र. 179/अ-12/16-17 में पारित आदेश दिनांक 31.10.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 28.06.2019 को कलेक्टर जिला सतना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">             (बी.एम. शर्मा)            सदस्य         </p>	